माननीय जी. सी. मित्तल, ए. सी. जे. और एच. एस. बेदी, जे.

मेसर्स केनापो टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य- *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- *उत्तरदाता*

CWP. No. 4191 of 1989

16 अप्रैल, 1991

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1984-आकलन *प्राधिकरण-ऐसे प्राधिकरण को नियुक्त करने की शक्ति-दो प्राधिकरणों ने कार्यवाही शुरू कर दी है-क्या दो अलग-अलग कार्यवाही जारी रह सकती हैं।*

अभिनिर्णीत किया गया कि अधिनियम के तहत जिला उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण के पास मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

(पैरा 7)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 3 और धारा 2 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी करती है, इस प्रकार नियुक्त अधिकारी के पास मूल्यांकन तैयार करने का अधिकार क्षेत्र भी होगा।

(पैरा 7)

इसके अलावा, यह अभिनिर्णीत किया गया कि यदि उपरोक्त दो अधिकारियों में से कोई एक मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करता है, तो दूसरा अधिकारी उसी को शुरू करने का हकदार नहीं होगा और जिस क्षण बाद में कार्यवाही शुरू करने वाले अधिकारी को यह जानकारी मिल जाएगी कि कार्यवाही पहले ही दूसरे अधिकारी द्वारा शुरू की जा चुकी है, उसे अपने हाथ रोके रखने होंगे। हालांकि, नियम 7 में नामित प्राधिकरण के पास लंबित कार्यवाही को दूसरे अधिकारी को स्थानांतरित करने का अधिकार क्षेत्र होगा और जब तक ऐसा आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक वह अधिकारी जिसने पहले कार्यवाही

शुरू की थी, के पास मूल्यांकन तैयार करने का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा और दूसरे अधिकारी के पास ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है, तो समन्वित अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों के बीच राय के टकराव की संभावना है और कानून में इस तरह के पाठ्यक्रम से जहां तक संभव हो बचा जाएगा।

(पैरा 7)

याचिकाकर्ताओं की ओर से आर. सी. डोगरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती डोगरा अधिवक्ता और *राजेश बिंदल, अधिवक्ता।*

प्रतिवादीओं की ओर से एस. के. सूद, AA.G हरियाणा के साथ एस. सी. मोहंता, A.G., *हरियाणा।*

न्याय

गोकल चंद मित्तल, ए. सी. जे.

(1) याचिकाकर्ता ग्राहकों द्वारा आपूर्ति किए गए भूरे रंग के कपड़े का काम करते हैं, जिसे महीन कपड़े, ब्लीचिंग और प्रिंटिंग में संसाधित करने के बाद, भूरे रंग के कपड़े पहनने वालों को वापस कर दिया जाता है। वे धूसर रंग का कपड़ा भी खरीदते हैं और इसे महीन कपड़े, ब्लीचिंग और प्रिंटिंग से संसाधित करने के बाद बेच देते हैं। 17 अप्रैल, 1984 तक, नौकरी के काम के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, यानी प्रसंस्करण, ब्लीचिंग और प्रिंटिंग, बिक्री-कर के लिए उत्तरदायी नहीं थी, लेकिन 18 अप्रैल, 1984 से कुछ संवैधानिक संशोधनों और हरियाणा राज्य द्वारा हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) में किए गए संशोधनों के कारण, नौकरी के काम में उपयोग की जाने वाली सामग्री 1 अप्रैल, 1987 से बिक्री-कर के लिए उत्तरदायी हो गई। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ़ *इंडिया और अन्य बनाम भारत संघ* और *अन्य (1) मामले में उच्चतम* न्यायालय ने अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अधिकारों को बरकरार रखा है। तदनुसार, हम इस मामले में अधिकारों से चिंतित नहीं हैं।

(2) फरीदाबाद के आबकारी और कराधान अधिकारी, जो निर्धारण प्राधिकरण हैं, ने 1 अप्रैल, 1987 से दोनों याचिकाकर्ताओं के संबंध में बिक्री-कर के आकलन के लिए मामला उठाया, जिस तारीख से अधिनियम के प्रावधान लागू किए गए थे। जबकि

(1) (1989) 73 S.T.C. 370.

कार्यवाही उपरोक्त अधिकारी के समक्ष लंबित थी।श्री एम. एस. हुड्डा, उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी को फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा राज्य के लिए उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण (एईएस) के रूप में नामित किया गया था। (एईएस का अर्थ है चोरी रोधी दस्ते। श्री एम. एस. हुड्डा ने अनुलग्नक पी-1 और पी-2 के लिए भी याचिकाकर्ताओं को उनके खिलाफ मूल्यांकन तैयार करने के लिए नोटिस जारी किए। अनुलग्नक पी-3 और पी-4 में निहित अपने जवाबों में, उन्होंने विभिन्न आधारों पर उनके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी।अब, नोटिस अनुलग्नक पी-1 और पी-2 को इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

(3) अधिनियम के तहत, यह जिले के आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-मूल्यांकन प्राधिकरण है जिसके पास मूल्यांकन तैयार करने का अधिकार क्षेत्र है और प्रत्येक जिले में हरियाणा राज्य ने एक आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-मूल्यांकन प्राधिकरण नियुक्त किया है। तथापि, अधिनियम की धारा 3 और धारा 2 (ए) के आधार पर राज्य सरकार को हरियाणा के आयुक्त की सहायता के लिए उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग में उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी (कर चोरी रोधी दस्ते) की नियुक्ति करने और पूरे हरियाणा राज्य में अधिनियम की धारा 2 (ए) के अर्थ के भीतर एक निर्धारण प्राधिकरण के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति निहित है। हरियाणा के राज्यपाल ने 19 मई, 1989 को अधिसूचना जारी की। *एस.* ओ. 76/एच. ए.-20/73 एस. 3/89 उपरोक्त प्रावधान के तहत श्री एम. एस. हुड्डा को पूरे हरियाणा राज्य में एक मूल्यांकन प्राधिकरण के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है।

(4) पंजाब अधिनियम के तहत जारी इसी तरह की अधिसूचना देवी दास गोपाल कृष्ण बनाम पंजाब राज्य (2) मामले में इस *न्यायालय की एक खण्ड* पीठ *के समक्ष विचार के* लिए आई और इसकी वैधता को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।

(5) उस निर्णय में दिए गए विस्तृत कारणों के लिए, हम श्री एम. एस. हुड्डा को पूरे हरियाणा राज्य में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मूल्यांकन प्राधिकरण (एईएस) के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

(6) अगला सवाल यह उठता है कि एक बार जब जिले के आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण ने कार्यवाही शुरू कर दी थी और लंबित थी, तो क्या श्री एम. एस. हुड्डा उसके बाद इसी तरह की कार्यवाही शुरू करेंगे।

(7) इस मामले पर विचार करने पर, हमारा विचार है कि फरीदाबाद जिले के भीतर कर निर्धारकों के लिए, उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण, फरिदाबाद के साथ-साथ श्री एम. एस. हुड्डा, उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी (एईएस) के पास मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र होगा। जो कोई भी पहले कार्यवाही शुरू करेगा, वे कार्यवाही जारी रहेगी और दूसरे प्राधिकरण को रोक दिया

जाएगा। एक बार कार्यवाही शुरू करने वाले प्राधिकारी को सूचित किया जाता है कि यदि दूसरे अधिकारी द्वारा कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है, तो कार्यवाही शुरू करना या उसे जारी रखना उचित नहीं होगा। राय के टकराव से बचने के लिए, अधिनियम में एक प्रावधान है। नियम 7 में मामलों को एक निर्धारण प्राधिकरण से दूसरे को या एक उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी से दूसरे को स्थानांतरित करने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में, यदि निर्धारण प्राधिकरण यह जाने बिना कि दूसरे अधिकारी ने पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है, बाद में कार्यवाही शुरू करना चाहता है तो उसके लिए उचित मार्ग अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 7 के तहत प्रदान किए गए मामले को उच्च प्राधिकारी को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन करना होगा। उच्च प्राधिकारी मामले को निर्धारण प्राधिकरण से दूसरे को स्थानांतरित कर सकता है या ऐसा करने से बच सकता है। इस मामले में, जिला मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी थी और इसलिए श्री एम. एस. हुड्डा समानांतर कार्यवाही शुरू नहीं कर सके। इसके अलावा, जिला मूल्यांकन प्राधिकरण से श्री एम. एस. हुड्डा को केस के हस्तांतरण का कोई आदेश नहीं है और इसलिए, श्री हुड्डा मूल्यांकन करने के लिए नोटिस जारी नहीं कर सके, जबकि कार्यवाही जिला मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष लंबित थी। तदनुसार, हम कानून के निम्नलिखित प्रस्तावों को दर्ज करते हैं:—

1. अधिनियम के तहत, जिला उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण के पास मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

2. यदि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 3 'और धारा 2 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी करती है तो इस प्रकार नियुक्त अधिकारी के पास मूल्यांकन तैयार करने का अधिकार क्षेत्र भी होगा।

3. उपरोक्त दो में से किसी एक मामले में, अधिकारी मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करते हैं, दूसरा अधिकारी उसी को शुरू करने का हकदार होगा और जिस क्षण बाद में कार्यवाही शुरू करने वाले अधिकारी को यह जानकारी मिल जाएगी कि कार्यवाही पहले ही दूसरे अधिकारी द्वारा शुरू की जा चुकी है, उसे अपनी कार्यवाही रोकनी होगी। हालांकि, नियम 7 में नामित प्राधिकरण के पास लंबित कार्यवाही को दूसरे अधिकारी को स्थानांतरित करने का अधिकार क्षेत्र होगा और जब तक ऐसा आदेश पारित नहीं हो जाता है, तब तक जिस अधिकारी ने पहले कार्यवाही शुरू की है, उसके पास मूल्यांकन तैयार करने का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा और दूसरे अधिकारी के पास ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है, समन्वित अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों के बीच राय के टकराव की संभावना है और कानून में जहां तक संभव हो इस तरह के पाठ्यक्रम से बचा जाएगा।

(8) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, श्री एम. एस. हुड्डा, आबकारी और कराधान अधिकारी-एईएस) द्वारा जारी किए गए नोटिस अनुलग्नक और पी-2 को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि, आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण, फरीदाबाद के पास मूल्यांकन तैयार करने का अधिकार क्षेत्र होगा और वे तब तक कार्यवाही जारी रख सकते हैं जब तक कि उन्हें नियम 7 के तहत श्री एम. एस. हुड्डा या मूल्यांकन तैयार करने के लिए सक्षम कुछ अन्य अधिकारियों को स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता है। रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा